बीस रुपये TWENTY RUPEES

25

न्यायालय श्री मान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य, प्रदेश ,

निग• क्र•/- निगरानी 356-I-15 सन् 2015

1• दिनेश कुमार त्रिपाठी आयु 47 वर्ष तनय स्व• रामनारायण त्रिपाठी,

2• राजेन्द्र कुमार त्रिपाठीआयु 37 वर्ष तनय स्व• रामनारायण त्रिपाठी,

3• बीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी आयु 34वर्ष, तनय स्व• रामनारायण त्रिपाठी,

समस्त निवासीग्राम पठा तह• लवकुशनगर जिला- छतरपुर म•प्र•

हाल निवासी छुईखदान वार्ड नं• 33 सटई रोड छतरपुर -

जिला- छतरपुर म•प्र• --- ----निगरानीकर्तागण

बनाम

1• श्रीमती प्रेमावती उर्फ प्रेमलता वेवा महेश कुमार त्रिपाठी आयु 48 वर्ष,
नि•ग्रा• इमलिया तह• मौदहा जिला हमीरपुर उ•प्र•

2• रचना पुत्री स्व• महेश कुमार त्रिपाठी पत्नी सुनील शुक्ला आयु 30वर्ष,
नि•ग्रा• इमलिया तह• मौदहा जिला हमीरपुर उ•प्र• ।

3• कल्पना पुत्री स्व• महेश कुमार त्रिपाठी पत्नी उमेश तिवारी आयु24वर्ष,
निवासी चिल्ली थाना मुस्करा थाना मौदहा जिलाहमीरपुरउत्तर प्रदेश ।

---- निगरानीगृहीतागण

निगरानी अंतर्गत धारा-50 म•प्र•भू•रा•सं• 1959

न्यायालय श्रीमान् अनु• विभा• अधि• छतरपुर के राजस्व
प्र•क्र• 138/अपी•/अ-6/2013-14 से पारित निर्णयदिनांक
26-12-2014 से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत कररहेहै।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करते है:-

1• प्रकरण का संक्षिप्त सार

13.2.15 को श्री .... द्वारा प्रस्तुत
13-2-15
3.2.15
K. Dwivedi

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-356-एक/2015 जिला - छतरपुर दिनेश कुमार विरूद्ध प्रेमलता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक दिनेश कुमार की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 138/अपील/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-02-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

20.12.18

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य